न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 12 सन 2022

अनवान :–

1. शान्ति पत्नी गोमन्दराम जाति बांवरी निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़। अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री सन्तलाल तिवाडी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 23/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 626/609 के खसरा न0 1115/1212 की कुल 6.3230हैक्‍ भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण शानित पत्नी गोविन्दराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पति का सही नाम शान्ति पत्नी गोमन्दराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पति का नाम शान्ति पत्नी गोमन्दराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पति का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 626/609 के खसरा न0 1115/1212 की कुल 6.3230हैक्‍ भूमि में प्रार्थीया के पति का नाम शान्ति पत्नी गोविन्दराम के स्थान पर शान्ति पत्नी गोमन्दराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलव किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 626/609 के खसरा न0 1115/1212 की कुल 6.3230हैक्‍ भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी के पति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण शानित पत्नी गोविन्दराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के पति का सही नाम शान्ति पत्नी गोमन्दराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पति का नाम शान्ति पत्नी गोमन्दराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पति का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 626/609 के खसरा न0 1115/1212 की कुल 6.3230हैक्ट भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसकी प्रार्थीया खातेदार काश्कार दर्ज है जिसमें प्रार्थीया के पति का नाम शान्ति पत्नी गोविन्दराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसके पति का सही नाम शान्ति पत्नी गोमन्दराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी के पति का नाम शान्ति पत्नी गोमन्दराम है प्रार्थीया ने नाम के सम्बध में सरपंच ग्राम पचायत की तस्दीक भी पेश की गई है प्रार्थी ने अपने पति के नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार /सरपंच की अभिशषां के आधार पर प्रार्थी के पित राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /सरपंच एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 626/609 के खसरा न0 1115/1212 की कुल 6.3230हैक्ट भूमि में शान्ति पत्नी गोविन्दराम के स्थान पर शान्ति पत्नि गोविन्दराम उर्फ गोमन्दराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/02/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2022 / दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 12 / 2022 अनवानी शान्ति बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. शान्ति पत्नी गोमन्दराम जाति बांवरी निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 12 / 2022 अनवानी शान्ति बनाम सरकार में दिनांक 23/02/22 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 626 / 609 के खसरा न0 1115 / 1212 की कुल 6. 3230हैक्‍ भूमि में शान्ति पत्नी गोविन्दराम के स्थान पर शान्ति पत्नि गोविन्दराम उर्फ गोमन्दराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner